

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

जनपद चमोली में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए यातायात का होना अति आवश्यक है, यातायात न होने के कारण इस क्षेत्र का विकास बिल्कुल नहीं हो सकता है। इस क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए यहां मार्ग निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। यह क्षेत्र यातायात से वंचित होने के कारण काफी पिछड़ा क्षेत्र है। पिछड़ा होने के कारण शासन द्वारा इस मार्ग के निर्माण हेतु स्वीकृत शासनादेश संख्या 847/24-34(98-99) दिनांक 29/09/2007/764(1)।।-2/08 दिनांक 24 मार्च 2008, के द्वारा प्राप्त हुई है।


यह मार्ग घाट-बांजबगड़-तेलान मोटर मार्ग से किमी 8 से प्रारम्भ होता है तथा इसका अन्तिम प्वाइंट बंगाली गांव है, जो कि पहुंच मार्ग (घाट-बांजबगड़) कमी 8 से आगे 4 किमी लम्बाई पर 12 वां किमी 0 जुड़ेगा। बंगाली गांव विकासखण्ड घाट का अन्तिम गांव है यह मार्ग मात्र इसी बंगाली गांव को जोड़ने हेतु प्रस्तावित है। पहुंच मार्ग घाट-बांजबगड़-तेलान किमी 8 से 10 तक 2 किमी 0 हल्के वाहन हेतु पूर्व निर्मित था। वर्तमान में किमी 8 तक हल्के वाहन को मोटर मार्ग में परिवर्तित कर दिया गया है शेष 9 से 10 किमी (2 किमी) में वर्ष 2008 में भू-स्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था जिसमें सुधार का कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई क्योंकि किमी 9 व 10 भूस्खलन से क्षतिग्रस्त है जिसका समरेखण बदलना पड़ा और नवनिर्माण के रूप में प्रस्तावित किया गया है।


इस क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि उत्पादन एवं पशुपालन है, यहां के लोगों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु मीलों दूर चलकर सामान पीठ पर तथा घोड़ों एवं खच्चरों से ढोना पड़ता है, जिससे अनावश्यक समय नष्ट हो जाता है।

मोटर मार्ग बनने व यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जाने से इस क्षेत्र की जनता को चिकित्सा, शिक्षा आदि की सुविधा के साथ-साथ पैदा होने वाली कृषि उपज को नजदीकी बाजार में पहुंचाने से कृषकों को अच्छे दाम मिलेंगे, जिससे स्थानीय जनता की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर जीवन स्तर में वृद्धि के फलस्वरूप सामाजिक स्तर में भी सुधार आएगा।

इस क्षेत्र में आलू व चौलाई की नकदी फसलों का उत्पादन कृषक लगभग 220 हे 0 भूमि पर करते हैं जिससे औसतन 410 टन आलू व चौलाई का उत्पादन होता है। यातायात न होने के कारण उक्त नगदी फसलें मुख्य बाजारों तक पहुंचने में अत्यधिक व्यय व समय लगता है। यातायात होने के कारण उक्त फसलें सही समय तक बाजारों तक पहुंचेगी तथा कृषकों व स्थानीय दुकानदारों को रोजगार के अच्छे साधन भी उपलब्ध होंगे, साथ ही स्थानीय श्रमिकों को रोजगार की सुविधा होगी और पलायन पर भी अंकुश लगेगा।

मार्ग का निर्माण ऐसे स्थानों से किया जा रहा है जहां पर वृक्षों एवं वन सम्पदा को न्यूनतम क्षति पहुंच रही है। मार्ग निर्माण से स्थानीय वन्य जीवों की सुरक्षा, वृक्षारोपण बचाव आदि कार्यों में भी सुविधा होगी। मार्ग निर्माण होने से जनता को रसोई गैस आदि सामग्री आसानी से घर तक पहुंचाने के फलस्वरूप जलाऊ लकड़ी का प्रयोग कम होगा, जिससे स्थानीय वनों का कटाव भी कम होने की पूर्ण सम्भावनाएं हैं, और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि
कर्णप्रयाग।


अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि
कर्णप्रयाग।